उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या-182/2019/2206/92-2-19-136(जांच)/2016
लखनऊ :: दिनांक:: 26 नवम्बर, 2019

**कार्यालय-ज्ञाप**

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-जालौन, उरई द्वारा नया पटेलनगर, कोंच मौजा बदनपुरा जनपद जालौन में कराये गये सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्यों में टी0ए0सी0 की जांच में परिलक्षित अनियमितताओं एवं शासकीय क्षति के लिये प्रथम द्रष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-88/2018/1387/92-2-18-136(जांच)/2016, दिनांक 11 जुलाई, 2018 द्वारा श्री दीनानाथ सिंह, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-जालौन, उरई सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध सी0एस0आर0 के अनुच्छेद-351ए के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण की जॉच हेतु अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-चित्रकूट को पदेन जॉच अधिकारी तथा प्रकरण में विभागीय पक्ष/अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-जालौन, उरई को पदेन प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नामित किया गया।

2- शासन के पत्र दिनांक 14.08.2018 द्वारा जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-चित्रकूट को अपचारी अधिकारी श्री दीनानाथ सिंह के विरूद्ध अनुमोदित आरोप पत्र प्रेषित करते हुए विधिवत जांच कार्यवाही पूर्ण कर जांच आख्या निर्धारित समयावधि में शासन को उपलब्ध करायें जाने हेतु निर्देशित किया गया। जांच अधिकारी द्वारा जांच कार्यवाही पूर्ण करते हुए जांच आख्या शासन में दिनांक 22.07.2019 को उपलब्ध करायी गयी। जांच अधिकारी द्वारा श्री दीनानाथ सिंह के विरूद्ध अधिरोपित कुल-5 आरोपों को अपनी जांच आख्या में प्रमाणित पाया। जांच अधिकारी की जांच आख्या में प्रमाणित पाये गये आरोपों के संबंध में शासन के पत्र दिनांक 29.08.2019 द्वारा अपचारी अधिकारी श्री दीनानाथ सिंह का अभ्यावेदन मांगा गया जो उनके पत्र दिनांक 24.09.2019 के माध्यम से अभ्यावेदन शासन में उपलब्ध कराया गया।

3- अपचारी अधिकारी के विरूद्ध अधिरोपित आरोप, अपचारी अधिकारी का बचाव उत्तर, जांच अधिकारी की जांच आख्या, जांच आख्या में प्रमाणित पाये गये आरोपों के संबंध में अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन व अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त पाया गया कि अपचारी अधिकारी श्री दीनानाथ सिंह, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-जालौन, उरई सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध संस्थित उक्त अनुशासनिक जांच में अधिरोपित सभी आरोपो एवं आर्थिक क्षति के परीक्षण की पुन: जांच हेतु अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल कानपुर को जांच अधिकारी नामित किये जाने का निर्णय लिया गया है। अत: प्रश्नगत अनुशासनिक जांच में अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल कानपुर को जांच अधिकारी नामित किये जाने की एतदद्वारा श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

4- जांच अधिकारी को पहले से अनुमोदित आरोप पत्र की प्रति प्रेषित करते हुये यह अपेक्षा की जाती है कि प्रकरण में विधिवत जांच कार्यवाही पूर्ण कर जांच आख्या निर्धारित समयावधि में शासन को उपलब्ध करायें।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूद्दीन
अपर मुख्य सचिव।

2-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

**संख्या-182/2019/2206(1)/92-2-2019 तददिनांक।**

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

2- जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-कानपुर को शासन के पत्र संख्या-2106/92-2-2018-136(जांच)/2016, दिनांक 13.08.2018 द्वारा निर्गत आरोप पत्र की प्रति (संलग्नक सहित)।

3- श्री दीनानाथ सिंह, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-जालौन, उरई सम्प्रति सेवानिवृत्त द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

4- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

( अवध नारायण )
उप सचिव।

http://s asanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।